

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोवर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 370 सन 2022

अनवान :-

1. गोविन्दराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. श्योरतन पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/05/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 42/43 की कुल 12.3800 है एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 16/18 की कुल 3.5540 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने वादीगण के साथ आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया जाकर रोही मौजा राणीसर में भूमि रख ली है इसलिये रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वादीगण रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि में अपने हकों का त्याग किया जाकर रोही मौजा राणीसर में भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 42/43 की कुल 12.3800 हैक एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 16/18 की कुल 3.5540 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने वादीगण के साथ आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया जाकर रोही मौजा राणीसर में भूमि रख ली है इसलिये रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वादीगण रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 42/43 की कुल 12.3800 हैक एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 16/18 की कुल 3.5540 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपुरा की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि आशाराम पुत्र परतुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा आशाराम पुत्र परतुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है


वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश

  
उभयपक्ष अधिकारी  
नोहर

किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर बरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 42/43 की कुल 12.3800 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला खसरा संख्या 854/3.8570 हैक वादी संख्या 2 अकेला खसरा संख्या 876 की 4.2110 हैक व खसरा संख्या 970/1138 की 0.0380 हैक वादी संख्या 3 अकेला खसरा संख्या 540/2.0990, खसरा संख्या 640/2.1750 हैक भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 16/18 की कुल 3.5540 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा द्विती

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गोविन्दराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. श्योरतन पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 370 सन 2022 निर्णय दिनांक-07/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के सम्मक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 42/43 की कुल 12.3800हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला खसरा संख्या 854/3.8570हैक् वादी संख्या 2 अकेला खसरा संख्या 876 की 4.2110हैक् व खसरा संख्या 970/1138 की 0.0380 हैक् वादी संख्या 3 अकेला खसरा संख्या 540/2.0990, खसरा संख्या 640/2.1750हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 16/18 की कुल 3.5540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर